पत्र संख्या -विधि-2-(1)-खाद्य-191-(2009-2010) /1324/ 0910063 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ,

(विधि अनुभाग)

दिनांक:: लखनऊ:: नवम्बर 17 ,2009

समस्त अधिकारीगण,

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय:- खरीफ विपणन वर्ष 2009-2010 में धान मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले धान के सम्बन्ध में कृषको को धान के मूल्य के अतिरिक्त दिये जाने वाले बोनस पर क्रय कर आरोपण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-क0नि0-2-2408/ ग्यारह-2-09-9-(103)/06 दिनांक 06-11-2009 द्वारा, खरीफ विपणन वर्ष 2008-2009 में धान मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले धान के सम्बन्ध में कृषको को धान के मूल्य के अतिरिक्त दिये जाने वाले बोनस पर देय क्रय कर आरोपित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पूर्व पत्र संख्या- 3027 / ग्यारह-2-08-9-9-(103)/06 दिनांक 27-10-2008 द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में, निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं :-

'' न्याय विभाग के अभिमत के आधार पर शासन के पत्र संख्या- 1277/ ग्यारह-2-06-9(205)/92 दिनांक 06-06-2006 के क्रम में खरीफ विपणन वर्ष 2006-2007 में धान मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले धान के सम्बन्ध में कृषको को धान के मूल्य के अतिरिक्त बोनस पर क्रय कर आरोपित न किये जाने के निर्देश शासन के पत्र संख्या- 2254/ ग्यारह-2-06-9(103)/06 दिनांक 27-09-2006 तथा वर्ष 2007-2008 के लिए पत्र संख्या-2604/ ग्यारह-2-07-9-(103)/06 दिनांक 25-10-2007 के क्रम में खरीफ विपणन वर्ष 2009-2010 में धान मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले धान के सम्बन्ध में कृषको को धान के मूल्य के अतिरिक्त दिये जाने वाले बोनस पर देय क्रय कर आरोपित नहीं किया जायेगा। ''

2- कृपया शासन के उक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(यू0सी0दीक्षित)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।

2- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

3- अध्यक्ष/ निबन्धन, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश ।

4- समस्त एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइण्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

5- अपर निदेशक/ संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक/ सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।

6- समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य पालक)/ (वि0 नु0शा0)/ (अपील)/ कारपोरेट सर्किल/ ऑयल सेक्टर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

7- समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

8- ज्वाइण्ट कमिश्नर /डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर, (सर्वोच्च न्यायालय कार्य)वाणिज्य कर, गाजियाबाद ।

9- ज्वाइण्ट कमिश्नर /डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर, (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद / लखनऊ ।

10- मैनुअल अनुभाग/ सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमश 5-5 तथा 10 प्रतियां ।

11- विधि अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय को 25 प्रतियां ।

12- समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

13- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, लखनऊ ।

(आर0एस0गंगवार)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।